



2026:AHC: 125336

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक अपील संख्या - 8588/2024

मनवीर

.....अपीलार्थी(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

अपीलार्थी(गण) के अधिवक्ता : आलोक कुमार, अतुल तेज कुलश्रेष्ठ, आयुष मिश्रा,
प्रभा शंकर मिश्रा, शची सिंह, विनय सिंह

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता, हेमंत कुमार

न्यायालय संख्या- 1

माननीय न्यायमूर्ति मदन पाल सिंह

1. अपीलार्थी के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अमित डागा, जिनके साथ श्री महिपाल सिंह हैं, सूचनादाता के विद्वान अधिवक्ता श्री हेमंत कुमार और राज्य के लिए विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया।
2. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 14-ए(2) के अंतर्गत यह आपराधिक अपील अपीलार्थी - मोनू @ मोहन गिरी द्वारा इस प्रार्थना के साथ प्रस्तुत की गई है कि अपील को स्वीकार किया जाए, विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी अधिनियम)/अपर सत्र न्यायाधीश, मेरठ द्वारा पारित जमानत निरस्तीकरण आदेश दिनांक 09.08.2024 को अपास्त किया जाए और थाना कंकरखेड़ा, जिला मेरठ के मुकदमा अपराध संख्या 364 वर्ष 2024, भारतीय दंड संहिता की धारा 364, 302, 201, 120-बी, 34 और एससी/एसटी अधिनियम की धारा 3(2)(5) में अपीलार्थी को जमानत पर रिहा किया जाए।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



3. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि सूचनादाता ने 08.06.2024 को एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई जिसमें आरोप लगाया गया कि उसके बेटे का अभियुक्तों द्वारा अपहरण कर लिया गया है। उसने आठ अभियुक्तों को नामजद किया और संदेह व्यक्त किया कि उन्होंने उसके बेटे का अपहरण किया और बाद में उसकी हत्या कर दी। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में अपीलार्थी का नाम नहीं था। सूचनादाता का बयान दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अंतर्गत दर्ज किया गया था, और उसका पूरक बयान भी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अंतर्गत दर्ज किया गया था। हालांकि, दोनों बयानों में उसने अपीलार्थी के विरुद्ध कोई आरोप नहीं लगाया। यह तर्क दिया गया कि अन्वेषण के दौरान एक गुप्त मुखबिर (मुखबिर खास) से प्राप्त सूचना के आधार पर अपीलार्थी का नाम प्रकाश में आया, और उसके बाद, सह-अभियुक्त विनीत मलिक के संस्वीकृति बयान के आधार पर उसकी संलिप्तता का आरोप लगाया गया। कथित अपराध में उसकी संलिप्तता स्थापित करने के लिए अपीलार्थी के विरुद्ध कोई ठोस या पुष्ट साक्ष्य नहीं है।

4. यह आगे प्रस्तुत किया गया कि अपीलार्थी निर्दोष है और उसे वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है। उसने कथित अपराध नहीं किया है, और कथित अपराध उसके विरुद्ध आकर्षित नहीं होते हैं। विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि समान स्थिति वाले एक सह-अभियुक्त, अर्थात् मोनू @ मोहन गिरी को इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा आपराधिक अपील संख्या 4375 वर्ष 2025 में पारित आदेश दिनांक 18.12.2025 के माध्यम से पहले ही जमानत पर रिहा किया जा चुका है। उपरोक्त जमानत आदेश की एक प्रति अभिलेख पर लाई गई है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि चूंकि समान स्थिति वाले सह-अभियुक्त को पहले ही जमानत दी जा चुकी है, इसलिए अपीलार्थी भी समानता के आधार पर जमानत पर रिहा होने का हकदार है। अंत में, यह प्रस्तुत किया गया कि अपीलार्थी 29.06.2024 से जेल में निरुद्ध है।

5. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता और सूचनादाता के विद्वान अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का पुरजोर विरोध किया और केस डायरी तथा अन्वेषण के दौरान विवेचना अधिकारी द्वारा एकत्र की गई सामग्री पर भरोसा करते हुए प्रस्तुत किया कि 05.06.2024 को लगभग 21:53 बजे अपीलार्थी की लोकेशन घटनास्थल पर या उसके आस-पास पाई गई थी। हालांकि, उन्होंने निष्पक्ष रूप से स्वीकार किया कि अपीलार्थी के कब्जे से कोई मोबाइल फोन बरामद नहीं हुआ है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



6. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत अभिवेदनों पर विचार करने के पश्चात कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में अपीलार्थी का नाम नहीं है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अंतर्गत बयानों में उसके विरुद्ध कोई विशिष्ट आरोप नहीं लगाया गया है, और उसे फंसाया जाना मुख्य रूप से सह-अभियुक्त के संस्वीकृति बयान पर आधारित है, जो साक्ष्य के कमजोर हिस्से हैं और समान स्थिति वाले सह-अभियुक्त को पहले ही जमानत दी जा चुकी है, अपीलार्थी ने समानता के आधार पर जमानत के लिए मामला बना लिया है। वाद के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, अपीलार्थी विचारण के लंबित रहने के दौरान जमानत पर रिहा होने का हकदार है।

7. अपीलार्थी **मनवीर** को उपर्युक्त मुकदमा अपराध संख्या में 1,00,000/- रुपये का व्यक्तिगत बंधपत्र और संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए समान राशि की दो प्रतिभूतियां प्रत्येक प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए, जो न्याय के हित में लगाई जा रही हैं:-

- i) अपीलार्थी अभियोजन साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा और किसी भी तरीके से पीड़िता/शिकायतकर्ता को नुकसान या परेशान नहीं करेगा।
- ii) अपीलार्थी न्यायालय के आदेशों का पालन करेगा, प्रत्येक नियत तिथि पर न्यायालय में उपस्थित होगा और किसी भी तरीके से विचारण के निस्तारण में देरी नहीं करेगा।
- iii) अपीलार्थी इस आशय का एक वचनपत्र दाखिल करेगा कि जब गवाह न्यायालय में उपस्थित होंगे तो वह साक्ष्य के लिए नियत तिथि पर कोई स्थगन नहीं मांगेगा। इस शर्त के उल्लंघन के मामले में, विचारण न्यायालय के लिए इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानने और विधि के अनुसार आदेश पारित करने के विकल्प खुले रहेंगे।
- iv) अपीलार्थी किसी भी तरीके से जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा। यदि विचारण के दौरान अपीलार्थी जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए धारा 84 बीएनएसएस/82 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत उद्घोषणा जारी की जा सकती है और यदि अपीलार्थी ऐसी उद्घोषणा में नियत तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, तो विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध धारा 209 बीएनएस /174-ए भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत विधि के अनुसार कार्यवाही शुरू करेगा।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



v) अपीलार्थी (1) वाद शुरू होने, (2) आरोप विरचित होने और (3) धारा 251 बीएनएसएस/313 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत बयान दर्ज होने के लिए नियत तिथियों पर व्यक्तिगत रूप से विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा। यदि विचारण न्यायालय की राय में अपीलार्थी की अनुपस्थिति जानबूझकर या बिना पर्याप्त कारण के है, तो विचारण न्यायालय के लिए ऐसी चूक को जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानने और उसके विरुद्ध विधि के अनुसार कार्यवाही करने का विकल्प खुला रहेगा और विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध धारा 269 बीएनएस/229-ए भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत कार्यवाही कर सकता है।

vi) विचारण न्यायालय सभी संभव प्रयास/यत्न कर सकता है और अपीलार्थी की रिहाई के बाद शीघ्रता से विचारण को समाप्त करने का प्रयास करेगा।

8. प्रतिभूतियों की पहचान, स्थिति और आवासीय प्रमाण का सत्यापन संबंधित न्यायालय द्वारा किया जाएगा और ऊपर उल्लिखित किसी भी शर्त के उल्लंघन के स्थिति में, संबंधित न्यायालय को जमानत रद्द करने और अपीलार्थी को जेल भेजने की स्वतंत्रता होगी।

9. तदनुसार, अपील सफल होती है और इसे स्वीकार किया जाता है।

10. विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी) अधिनियम, मेरठ द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 09.08.2024 को एतद्वारा अपास्त किया जाता है।

4 जून, 2026

अकबर

(न्यायमूर्ति मदन पाल सिंह)

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”